संख्या– 951/11–6–2012–20एम(133)/08

प्रेषक,

बीरेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः ०६ सितम्बर, 2012

विषय : केबिल टी0वी0 नेटवर्क सेवा पर कराधान के संबंध में वर्ष 2012–13 हेतु एकमुश्त समाधान योजना लागू किया जाना।

महोदय,

केबिल टी0वी0 नेटवर्क सेवा में होने वाले करापवंचन को दूर करने के उद्देश्य से कराधान के संबंध में वित्तीय वर्ष 2010–11 में शासनादेश संख्या–1283/11–6–2010–एम(20)/2008 दिनांक 03.08.2010 द्वारा एकमुश्त समाधान योजना लागू की गयी थी। इस समाधान योजना में वित्तीय वर्ष 2009–10 में केबिल संचालक द्वारा देय मनोरंजन कर की सकल धनराशि में 30 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी थी। इस समाधान योजना से एक ओर जहां केबिल आपरेटरों को सामयिक विवरण पत्र प्रस्तुत करने, अभिलेखों के रख–रखाव करने एवं निरीक्षण अधिकारियों के सर्वे से छूट मिली, वहीं दूसरी ओर सरकार को इस सेवा से अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ तथा इस सेवा से संबंधित अनेक विवाद समाप्त हुए। इस समाधान योजना से हुये वित्तीय लाभ को देखते हुये वित्तीय वर्ष 2011–12 में पुनः एक वर्ष के लिये वैकल्पिक रूप से एक मुश्त समाधान योजना लागू की गयी थी। प्रदेश के लगभग 80 प्रतिशत केबिल आपरेटरों द्वारा इस समाधान योजना को स्वीकार किया गया।

2. अतः वित्तीय वर्ष 2011–12 में केबिल टी0वी0 नेटवर्क सेवा पर कराधान के संबंध में अच्छे परिणाम को दृष्टिगत रखते हुये सम्यक् विचारोपरांत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में एक वर्ष की अवधि हेतु समाधान योजना का विकल्प प्रस्तुत करने वाले केबिल आपरेटर वित्तीय वर्ष 2011–12 के विभिन्न माहों हेतु देय मनोरंजन कर की सकल धनराशि में 30 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करके निम्नलिखित शर्तों के अधीन केबिल टी0वी0 नेटवर्क सेवा पर कराधान संबंधी एकमुश्त समाधान योजना लागू की जाती है :–

(1) उक्त समाधान योजना वैकल्पिक होगी और यह योजना विभिन्न जनपदों में तभी प्रभावी होगी, जबकि उस जनपद के मुख्य डाकघर में पंजीकृत (केबिल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 की धारा–3 के अन्तर्गत) पंजीकृत केबिल आपरेटरों में से 70 प्रतिशत केबिल आपरेटर इस योजना का विकल्प इस संबंध में जारी होने वाले शासनादेश के 45 दिन के अन्दर सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेंगे और इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 60 दिन के अन्दर तत्संबंधी आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे।

(2) किसी केबिल आपरेटर द्वारा समाधान योजना का विकल्प चुनने पर वह आगामी एक वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु उक्त विकल्प से आबद्ध रहेगा तथा तदनुसार निर्धारित समाधान कर की धनराशि (सम्मत कर) का नियमानुसार भुगतान करना अनिवार्य होगा। वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु प्रत्येक माह के लिये निर्धारित सम्मत कर की धनराशि वित्तीय वर्ष 2011–12 के विभिन्न माहों हेतु **देय मनोरंजन कर** के औसत धनराशि **(आधार धनराशि)** में 30 प्रतिशत बढ़ाकर निर्धारित की जायेगी। **आधार धनराशि** का तात्पर्य समाधान योजना के विकल्प चुनने वाले केबिल आपरेटर के केबिल टी0वी0 केन्द्र से वित्तीय वर्ष 2011–12 में विभिन्न माहों के देय मनोरंजन कर की धनराशियों के योग को माह की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होने वाली धनराशि से है। देय मनोरंजन कर का तात्पर्य किसी केबिल टी0वी0 केन्द्र से किसी माह

...2

में जारी केबिल कनेक्शनों पर लगने वाले मनोरंजन कर से है, जो उस माह में जारी केबिल कनेक्शनों की संख्या तथा प्रति उपभोक्ता शुल्क व तत्समय लागू मनोरंजन कर के गुणनफल के समतुल्य धनराशि से है।

(3) यदि कोई केबिल आपरेटर इस समाधान योजना के संबंध में वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु विकल्प चुनना चाहता है, तो वह इस संबंध में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को उक्त विकल्प शासनादेश निर्गत होने के 45 दिन के अन्दर प्रस्तुत करेगा।

(4) केबिल उपभोक्ताओं के हित को संरक्षित करने हेतु इस योजना में यह प्रतिबन्ध लगाया जाय कि प्रत्येक केबिल आपरेटर अपने उपभोक्ताओं से दिनांक 31.03.2012 **(कट आफ डेट)** को प्रति उपभोक्ता वसूल की जाने वाली अधिकतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि इस योजना के अवधि समाप्ति तक नहीं वसूल करेंगे। इस हेतु केबिल आपरेटर योजना का विकल्प प्रस्तुत करते समय दिनांक 31.03.2012 को अपने केन्द्र से जारी केबिल कनेक्शन हेतु वसूल किये गये मासिक शुल्क की अधिकतम धनराशि अंकित करेगा।

(5) केबिल आपरेटर योजना का विकल्प प्रस्तुत करते समय दिनांक 31.03.2012 तक अपने केन्द्र से जारी केबिल कनेक्शनों की संख्या व उसके विस्तार का क्षेत्र तथा उन क्षेत्रों में वसूल की जाने वाली मासिक शुल्क की धनराशि अंकित करेगा।

(6) यदि किसी केबिल आपरेटर ने घोषित कनेक्शन व क्षेत्र में दूसरे केबिल आपरेटर के कनेक्शनों को जोड़ कर अथवा घोषित क्षेत्र का अन्यथा विस्तार करता है, तो उस हेतु उसे **अतिरिक्त कर** अदा करना होगा। प्रस्तावित समाधान योजना का विकल्प चुनते समय प्रत्येक केबिल आपरेटर अपने केन्द्र से दिनांक 31.03. 2012 (कट आफ डेट) को जारी केबिल कनेक्शनों का विस्तार क्षेत्र, कनेक्शनों की संख्या तथा मासिक उपभोक्ता शुल्क घोषित करेगा। इस संबंध में कर के निर्धारण की प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी कि यदि उस केबिल आपरेटर जिसका क्षेत्र मिलाया जा रहा है, यदि वह समाधान योजना के अन्तर्गत विकल्प चुनकर मनोरंजन कर अदा कर रहा है तो उस हेतु निर्धारित सम्मत कर का उन्हें, जिनका क्षेत्र विस्तारित हुआ है, को अतिरिक्त रूप से कर अदा करना होगा, परन्तु यदि मिलने वाले केबिल टी0वी0 केन्द्र के आपरेटर द्वारा समाधान योजना का विकल्प नहीं चुना गया था और लागू दर के अनुसार केबिल उपभोक्ताओं से एकत्रित मनोरंजन कर की धनराशि राजकोष में जमा कर रहा था जो ऐसी दशा में उसे अपने क्षेत्र में मिलाने वाला केबिल आपरेटर उसी अनुसार तब तक मनोरंजन कर अदा करता रहेगा जब तक कि वह उस क्षेत्र हेतु भी समाधान का विकल्प प्रस्तुत नहीं कर देता। इसके अतिरिक्त समाधान योजना का विकल्प चुनने वाला केबिल आपरेटर अपने क्षेत्र का अन्यथा विस्तार करता है, तो विस्तारित क्षेत्र में जारी केबिल कनेक्शनों हेतु वह तत्समय लागू दर से एकत्रित मनोरंजन कर तब तक जमा करता रहेगा जब तक कि उक्त विस्तारित क्षेत्र में जारी कनेक्शनों के संबंध में समाधान योजना का विकल्प चुन नहीं लेता।

(7) जिला मजिस्ट्रेट को यदि समाधान हो जाता है कि किसी केबिल आपरेटर ने समाधान योजना का विकल्प प्रस्तुत करने में तथ्यों को छिपाया है अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत किये हैं तो जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार होगा कि वह समाधान योजना संबंधी निर्गत आदेश को तदनुसार संशोधित कर सके।

(8) **जिन व्यापारियों द्वारा समाधान योजना नहीं अपनाई जायेगी, उस क्षेत्र में डोर–टू–डोर अभियान चलाकर वास्तविक संख्या आंगणित की जायेगी।** इस कार्यवाही हेतु जिला मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में प्रत्येक केबिल आपेरेटर के क्षेत्र में दूसरे क्षेत्रों के निरीक्षकों/अधिकारियों द्वारा इस प्रकार के सर्वे की कार्यवाही (एक से अधिक निरीक्षक कार्यरत रहने की दशा में चक्रानुक्रम प्रक्रिया के अनुसार) की जायेगी, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र की मासिक रिपोर्ट माह के प्रथम सप्ताह में जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जनपदों में डोर–टू–डोर सर्वे की कार्यवाही का अनुश्रवण मुख्यालय स्तर पर किया जायेगा तथा यथावश्यकता अन्य जनपदों के निरीक्षकों/अधिकारियों अथवा मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा उक्त सर्वे की नियमित जांच/कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

...3

(9) इस समाधान योजना के अन्तर्गत विकल्प प्रस्तुत करने वाला केबिल आपरेटर देय मासिक सम्मत कर का भुगतान उ0प्र0 केबिल टेलीविजन (प्रदर्शन) नियमावली, 1997 के नियम 11 के प्राविधानों के अनुसार करेगा।

(10) इस समाधान योजना का विकल्प देने वाले आपरेटरों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में राजकोष में जमा की गयी कर की धनराशि को समाधान राशि में समायोजित किया जायेगा।

(11) इस योजना में एक वर्ष पूर्व से संचालित केबिल आपरेटर भी सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसे केबिल आपरेटर हेतु वर्ष 2012–13 समाधान योजना का विकल्प प्रस्तुत करने वाले केबिल आपरेटर पर वित्तीय वर्ष 2011–12 में विभिन्न माहों हेतु देय मनोरंजन कर की सकल धनराशि का कुल 30 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ केबिल टी0वी0 सेवा नेटवर्क पर एकमुश्त समाधान योजना का विकल्प प्रस्तुत कर सकते है।

3. अतः अनुरोध है कि समाधान योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुये केबिल टी0वी0 नेटवर्क पर कराधान के संबंध में उपर्युक्त निर्देशानुसार समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही की सूचना शासन एवं आयुक्त, मनोरंजन कर, उ0प्र0 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–951(1)11–6–12/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त, मनोरंजन कर, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि उक्त समाधान योजना को लागू किये जाने हेतु एक 'स्टैण्डर्ड प्रोफार्मा' तैयार कराकर समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को उपलब्ध करा दें एवं विभाग के जनपदीय अधिकारियों को गणना हेतु प्रशिक्षित करते हुये 'सेन्सटाइज' (सुग्राहीकृत) कर दें, ताकि समान रूप से समयबद्ध तरीके से योजना का लाभ समस्त संबंधित को प्राप्त हो सके।
2. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–9, उत्तर प्रदेश शासन।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0एन0 प्रसाद)
विशेष सचिव।

कार्यालय मनोरंजन कर आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 3801 /प्र0क0–03/परि0के0समा0 योजना/2012–13 लखनऊः दिनांक- 07 सितम्बर,2012

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ कि संलग्न शासनादेश के प्राविधानों का प्रदेश के लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
2. समस्त जिला मजिस्ट्र,उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त उपायुक्त/सहायक आयुक्त/जिला मनोरंजन कर अधिकारी/प्रभारी मनोरंजन कर निरीक्षक, उत्तर प्रदेश को उपरोक्त शासनादेश के अन्तर्गत प्रसारित समाधान योजना को अपनाने हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र तथा इस संबंध में निर्गत किये जाने वाले आदेश का स्टैण्डर्ड प्रोफार्मा संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह अपने जनपद में उक्त शासनादेश के प्राविधानों का अपने स्तर से प्रचार–प्रसार कराते हुए शासन के निर्देशों का सम्यक अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

(अखिलेश सिंह)
उपायुक्त,
कृते आयुक्त।

com-vk/desktop/pitamber folder/KABLE SAMADHAN

संशोधित

प्रारूप–1

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
............................।

विषयः शासनादेश संख्या 951/11–6–2012–20एम(133)/08 दिनांक 06 सितम्बर,2012 के प्राविधानों के अन्तर्गत केबिल टी0वी0 नेटवर्क सेवा पर कराधान संबंधी एकमुश्त समाधान योजना (वित्तीय वर्ष 2012–13) अपनाने हेतु प्रार्थना –पत्र।

महोदय,

निवेदन है कि आवेदक वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए उपरोक्त शासनादेश द्वारा लागू समाधान योजना अपनाने का इच्छुक है जिस हेतु अपेक्षित एवं सुसंगत तथ्यों का विवरण निम्नवत् प्रस्तुत कर रहा हैः–

1. आवेदक का नाम व पताः– ....
2. केबिल टी0वी0 केन्द्र का नाम व पताः– ....
3. वित्तीय वर्ष 2011–12 में माहवार कनेक्शनों की संख्या /प्रतिमाह प्रति कनेक्शन उपभोक्ता शुल्क व देय मनोरंजन कर की दर एवं तदनुसार देय/जमा मासिक मनोरंजन कर का विवरणः–

माह/वर्ष	कनेक्शनों की संख्या	माह में वसूल की गयी कुल उपभोक्ता शुल्क(रू0)	मनोरंजन कर की दर(रू0)	देय कर की धनराशि(शास्ति, यदि कोई हो, सहित)	जमा मनोरंजन कर का विवरण			
					कर	ब्याज	कुल योग	चालान संख्या व दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अप्रैल,11								
मई,11								
जून,11								
जुलाई,11								
अगस्त,11								
सितम्बर,11								
अक्टूबर,11								
नवम्बर,11								
दिसम्बर,11								
जनवरी,12								
फरवरी,12								
मार्च,12								
योग								

4. प्रतिमाह देय औसत मनोरंजन कर (स्तम्भ–5 के योग/12) --- रू0.............................
5. प्रतिमाह देय औसत मनोरंजन कर का 30 प्रतिशत**(कमांक 4 की धनराशि x30/100)** --- रू0.............................
6. वित्तीय वर्ष 2012–13 के प्रत्येक माह में देय समाधान(सम्मत) मनोरंजन कर **(कमांक–4 की धनराशि+कमांक 5 की धनराशि)** --- रू0........
7. वित्तीय वर्ष 2012–13 में आगणित कुल देय समाधान(सम्मत) मनोरंजन कर **(कमांक–6 की धनराशि x12)** --- रू0........
8. दिनांक 31.03.12 को किसी भी उपभोक्ता से प्रति कनेक्शन वसूल की जा रही धनराशि --- रू0........
9. दिनांक 31.03.12 को केन्द्र से जारी कुल कनेक्शनों की संख्या --- रू0........
10. दिनांक 31.03.12 के बाद विस्तारित क्षेत्र के लिए मनोरंजन कर की गणना–
    (क) विस्तारित क्षेत्र का नाम–
    (ख) विस्तारित क्षेत्र में कनेक्शनों की संख्या–
    (ग) विस्तारित क्षेत्र में वसूल की जा रही उपभोक्ता धनराशि प्रतिमाह प्रति कनेक्शन --- रू0...........
    (घ) विस्तारित क्षेत्र के लिए देय मासिक मनोरंजन कर **{बिन्दु(ख)xबिन्दु(ग)x25/100}** ---रू0...........
11. कुल देय मासिक मनोरंजन कर **{(बिन्दु 6+बिन्दु 10(घ)}** ---- रू0...........

आवेदक का हस्ताक्षर
नाम व पते सहित

मैं घोषणा करता हूँ किः–

1. इस प्रार्थना–पत्र में मेरे द्वारा घोषित समस्त सूचनायें सत्य हैं तथा मेरे द्वारा किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है।
2. भविष्य में जब मैं अपने केबिल नेटवर्क का विस्तार करूंगा तो उसकी सूचना तत्काल जिला मजिस्ट्रेट को अवगत कराऊँगा तथा नये क्षेत्र में लगाये गये नये कनेक्शनों एवं प्रतिमाह प्रति कनेक्शन वसूल की जा रही धनराशि के तथ्यों की सूचना, तत्काल प्रस्तुत करूँगा।
3. भविष्य में यदि कहीं किसी दूसरे नेटवर्क को कय करूँगा अथवा उसका संचालन करूँगा तो उक्त तथ्य से जिला मजिस्ट्रेट को तत्काल अवगत कराऊँगा।
4. मेरे द्वारा प्रस्तुत इस प्रार्थना–पत्र में उल्लिखित किसी तथ्य के गलत पाये जाने पर या किसी छिपाये गये तथ्य के प्रकट होने पर या शासनादेश दिनांक 06.9.12 के किसी प्राविधान का उल्लंघन पाये जाने पर,जिला मजिस्ट्रेट महोदय को यह अधिकार होगा कि वह मेरे द्वारा अपनाये गये एक मुश्त समाधान योजना के आदेश को तदनुसार संशोधित कर सकते हैं तथा उक्त संशोधित आदेश के अनुसार मनोरंजन कर की वसूली नियमानुसार देय ब्याज सहित कर लें।

दिनांकः–
स्थानः–

आवेदक का हस्ताक्षर

संशोधित

प्रारूप–2

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट,..............................।

(मनोरंजन कर अनुभाग)

संख्या: /म0क0/ 2012–13 दिनांक:

–:आदेश:–

शासनादेश संख्या 951/11–6–2012–20एम(133)/08 दिनांक 06 सितम्बर,2012 द्वारा उद्घोषित केबिल टी0वी0 नेटवर्क सेवा पर वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु कराधान संबंधी एकमुश्त समाधान योजना अपनाने हेतु श्री...स्वामी/संचालक.. .केबिल टी0वी0नेटवर्क,स्थान..,जनपद–..................................द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांक..............................प्रस्तुत किया गया है। केबिल संचालक द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के माध्यम से निम्नलिखित सूचनायें प्रस्तुत की गयी हैं:–

कम सं0	विवरण	धनराशि(रू0 में)
1.	वित्तीय वर्ष, 2011–12 हेतु देय मनोरंजन कर की सकल धनराशि	
2.	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु औसत मासिक मनोरंजन कर की धनराशि	
3.	वित्तीय वर्ष 2011–12 के औसत मासिक मनोरंजन कर का 30 प्रतिशत	
4.	दिनांक 31.03.12 के बाद बढ़े कनेक्शन पर देय औसत मासिक मनोरंजन कर	
5.	वित्तीय वर्ष 2012–13 के प्रत्येक माह में देय मासिक मनोरंजन कर (कमांक 2+3+4)	
6.	वित्तीय वर्ष 2012–13 में देय कुल मनोरंजन कर	

केबिल संचालक द्वारा प्रस्तुत संदर्भित प्रार्थना–पत्र पर दी गयी सूचनाओं का सम्यक परीक्षणोपरान्त वित्तीय वर्ष 2012–13 के प्रत्येक माह हेतु समाधान(सम्मत) मनोरंजन कर रू0..(शब्दों में रूपया..मात्र) निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्धारित किया जाता है:–

1. समाधान योजना अपनाये जाने पर वित्तीय वर्ष 2012–13 के प्रत्येक माह हेतु उक्त के अनुसार ही मनोरंजन कर का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
2. समाधान योजना अपनाए जाने पर वित्तीय वर्ष 2012–13 की अवधि में अपने उपभोक्ता से अधिकतम वही मासिक शुल्क वसूल करेंगे जो केबिल संचालक द्वारा दिनांक 31.03.12 को उपभोक्ताओं से वसूल किया जा रहा था, जिसकी घोषणा प्रारूप–1 में प्रस्तुत अपने आवेदन पत्र में की गयी है। इसमें किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी नहीं की जायेगी।
3. यदि केबिल संचालक द्वारा किसी अन्य ऐसे केबिल संचालक का केबिल नेटवर्क/कनेक्शन कय किया जाता है जिसने समाधान(सम्मत) कर का विकल्प चुन रखा है, तो ऐसे कय किये गये केबिल टी0वी0नेटवर्क/कनेक्शन के लिए अतिरिक्त कर का भुगतान करना होगा। अतिरिक्त कर की धनराशि वहीं होगी जो विकेता आपरेटर पर समाधान(सम्मत) हेतु निर्धारित थी।
4. यदि केबिल संचालक द्वारा किसी अन्य ऐसे केबिल संचालक का केबिल नेटवर्क/कनेक्शन कय किया जाता है जिसने समाधान(सम्मत) कर का विकल्प नहीं चुन रखा है, तो ऐसे कय किये गये केबिल टी0वी0नेटवर्क/कनेक्शन के लिए अतिरिक्त कर का भुगतान करना होगा। अतिरिक्त कर की धनराशि वहीं होगी जो विकेता आपरेटर के केबिल टी0वी0 नेटवर्क केन्द्र पर देय है और वह विकय से पूर्व में राजकोष में अदा की गयी धनराशि से किसी भी दशा में कम नहीं होगा।
5. यदि केबिल संचालक अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करेगा, तो विस्तारित क्षेत्र में लगाये गये कनेक्शनों पर, तत्समय प्रचलित मनोरंजन कर की दर के अनुसार उन कनेक्शनों के लिए अतिरिक्त मनोरंजन कर का भुगतान करना होगा।
6. इस आदेश के जारी होने के बाद यदि यह संज्ञान में आता है कि संचालक द्वारा तथ्यों को छुपाकर या गलत तथ्य प्रस्तुत करके विकल्प अपनाया गया है, तो जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार होगा कि वह समाधान योजना हेतु जारी आदेश को तदनुसार संशोधित कर सकते हैं तथा संशोधित आदेश के अनुसार मनोरंजन कर की वसूली, नियमानुसार उस पर देय ब्याज सहित, की जायेगी।
7. उत्तर प्रदेश केबिल टी0वी0 नेटवर्क(प्रदर्शन) नियमावली,1997 के नियम–11 के प्राविधान लागू रहेंगे, परन्तु नियम–9 एवं 10 लागू नहीं होंगे।
8. वर्तमान तक जो धनराशि जमा की गयी है, उसे समायोजित करने के पश्चात जमा करने हेतु अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष 2012–13 के शेष माहों में समान किश्तों में राजकोष में जमा किया जायेगा, अन्यथा नियमानुसार देय ब्याज सहित उक्त धनराशि की वसूली करने के साथ–साथ अन्य सुसंगत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
9. यदि वित्तीय वर्ष 2011–12 या उसके किसी भाग हेतु निधारित मनोरंजन कर के विरूद्ध किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष/न्यायालय में कोई प्रत्यावेदन/अपील/याचिका लम्बित है, तो यह आदेश लम्बित प्रत्यावेदन/अपील/याचिका में पारित अन्तिम आदेश के अधीन रहेगी।

जिला मजिस्ट्रेट,
.........................।

पृष्ठांकन संख्या: (1)/म0क0/2012–13 तद्दिनांकित्।

प्रतिलिपि:–

1. श्री..स्वामी/संचालक...केबिल टी0वी0 नेटवर्क,................................. जनपद...................................को अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. श्री..मनोरंजन कर निरीक्षक,.......................................को उपरोक्त आदेश का सम्यक अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

उप/सहायक मनोरंजन कर आयुक्त/
जिला मनोरंजन कर अधिकारी/
प्रभारी अधिकारी(मनोरंजन कर)